



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 37 टेट्रा पैक देशी शराब अंगूरी मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे नशीले पदार्थ एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर-प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम अवैध शराब की तस्करी करने वाले **अभियुक्त हसीन पुत्र शमीम निवासी मस्जिद वाली गली हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को जैन कॉलेज की बराबर वाली गली थाना मंडी के सामने से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 37 टेट्रा पैक देशी शराब अंगूरी मार्का शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 19/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैं शराब ठैके से खरीदकर लाया था जिसे मैं ठेका बन्द होने के बाद ऊंचे दामों पर बेचकर कुछ पैसा कमा लेता हूँ, मैं पहले से ही यह काम करता रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -

हसीन पुत्र शमीम निवासी मस्जिद वाली गली हलालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 37 टेट्रा पैक देशी शराब अंगूरी मार्क।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
4. कां0 1460 अंकित कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।



दिनांक: 09-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त वसीम उर्फ बन्टी पुत्र कौशर नि0 ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम बाढीमाजरा जाने वाले रास्ते पर ईट भट्टे के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0 13/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने एक अंजान व्यक्ति से सस्ते दाम पर यह स्मैक खरीदी थी उस व्यक्ति का नाम व पता नहीं जानता हूँ। पैसों के लालच में मैं सड़क पर आने जाने वाले लोगों को यह नशीला सामान बेचने के लिए जहा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वसीम उर्फ बन्टी पुत्र कौशर नि0 ग्राम बाढीमाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 15 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. का0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. का0 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 09.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सावन पुत्र राजेन्द्र निवासी भूरा कन्डेला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा वादी की 17 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म कर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी बडगाँव को आदेश-निर्देश दिये गये थे। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त सावन पुत्र राजेन्द्र निवासी भूरा कन्डेला थाना कैराना जिला शामली** को झबीरण माड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

सावन पुत्र राजेन्द्र निवासी भूरा कन्डेला थाना कैराना जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 1- उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 2- का0 547 अंकुश तोमर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 3- का0 2545 सोनू कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाला अभियुक्त/दुकानदार गिरफ्तार, कब्जे से मांझे की 10 बड़ी चरखी व 12 छोटी चरखी (कुल 05 किलो 750 ग्राम) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री की रोकथाम व प्रतिबन्धित मांझे के कारोबार में लिप्त दुकानदार/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे "अभियान" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग अभियान के तहत प्रतिबन्धित मांझे की बिक्री करने वाला **01 दुकानदार/अभियुक्त चिराग शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम दतौली राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम दतौली राघड से प्रतिबन्धित मांझे की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की मांझे/पतंग की दुकान से प्रतिबन्धित मांझे की 10 बड़ी चरखी व मांझे की 12 छोटी चरखी (कुल 5 किलो 750 ग्राम) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 10/25 धारा 223/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधि0 के अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार दुकानदार/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार दुकानदार/अभियुक्त का नाम व पता:-

चिराग शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम दतौली राघड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 10 मांझे की बड़ी चरखी
- 12 मांझे की छोटी चरखी (कुल 5 किलो 750 ग्राम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त तालिब पुत्र गालिब नि0 याहियाशाह चौक कस्बा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 1774/24 व मु0अ0सं0 651/06 धारा 326/504/506 भादवि में नियत दिनांक 10.01.2025 चालानी थाना कोतवाली नगर (मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय स0पुर) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तालिब पुत्र गालिब नि0 याहियाशाह चौक कस्बा थाना मण्डी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 2199 विष्णु चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर